[This question paper contains 6 printed pages.]

2077

Your Roll No.

LL.B. / III Term

D

Paper LB-302: LIMITATION AND ARBITRATION

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note: Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी:- इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीज़िए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Answer any Five questions in all, selecting atleast one question from each Part.

All questions carry equal marks.

प्रत्येक भाग से कम-से-कम एक प्रश्न चुनते हुए, किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART-I (भाग I)

- 1. Attempt any Two of the following:
 - (a) Explain "Limitation bars the remedy but does not destroy the right" with the relevant statutory provisions and case law.

 P.T.O.

- (b) "The law of limitation is a statute of repose and peace." Comment.
- (c) Discuss the effect of fraud or mistake on the law of limitation with the help of case-law.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए:

- (क) सुसंगत कानूनी उपबन्धों तथा निर्णय विधि की सहायता से इसको स्पष्ट कीजिए "परिसीमा उपचार को वर्जित करती है किन्तु अधिकार को विनष्ट नहीं करती है।"
- (ख) "परिसीमा विधि विश्रान्ति तथा शान्ति की संविधि है।" टिप्पणी लिखिए।
- (ग) निर्णय विधि की सहायता से परिसीमा विधि पर कपट या त्रुटि के प्रभाव का विवेचन कीजिए।
- 2. (a) What are the conditions to be satisfied under Section 5 of the Limitation Act, 1963 for seeking condonation of delay in filing a time-barred appeal?
 - (b) Limitation period for filing an appeal expired on 01.01.2013. Amar filed the appeal on 03.12.2013 before the High Court pleading condonation of delay under Section 5 of the Limitation Act, 1963. The application mentioned that from 28.12.2012 to 04.04.2013 he was admitted in hospital as he

suffered a major heart attack; from 07.04.2013 to 10.10.2013 he was out of India on an urgent business matter and from 12.10.2013 to 01.12.2013 he was litigating the appeal in a wrong court due to the mistake of his counsel.

Decide whether the Court will condone the delay. Will the answer change if instead of an appeal, Amar was delayed in filing a suit in similar circumstances?

- (क) समयवर्जित अपील को फाइल करने में हुए विलम्ब की माफी चाहने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत जिन शर्तों का पूरा करना होता है वे कौनसी हैं ?
- (ख) अपील फाइल करने छेतु परिसीमा अवधि का 01-01-2013 को अवसान हो गया। अमर ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब के लिए माफी का अभिवाक् करते हुए उच्च न्यायालय के सामने 3.12.2013 को अपील फाइल की। अर्जी में उल्लिखित था कि 28-12-2012 से 04-04-2013 तक वह गंभीर दिल के दौरे के कारण अस्पताल में भर्ती था; 07-04-2013 से 10-10-2013 तक वह जरूरी कारोबारी मामले के कारण भारत से बाहर था और 12-10-2013 से 01-12-2013 तक वह अपने वकील की गलती के कारण गलत न्यायालय में अपील का मुकदमा लड़ रहा था।

विनिश्चय कीजिए कि क्या न्यायालय विलम्ब को माफ करेगा। यदि अमर उसी तरह की परिस्थितियों में अपील के बजाय वाद फाइल करने में विलम्बित हुआ होता तो क्या उत्तर बदल जाएगा?

3. Explain the expression "time requisite for obtaining a copy of the decree" found in Section 12 of the Limitation Act, 1963 with the help of case-law.

निर्णय विधि की सहायता से परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 में उल्लिखित – "डिक्री की प्रति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय" – अभिव्यक्ति की व्याख्या कीजिए।

- 4. (a) Ratan was born on 05.05.1995. A cause of action accrued to her on 17.09.2008. The limitation period for filing the suit is six years. Determine the date by which Ratan should file the suit with the support of statutory provisions and case-law.
 - (b) Differentiate between Sections 18 and 19 of the Limitation Act, 1963.
 - (क) रतन का जन्म 05-05-1995 को धुआ था। उसको वाद हेतुक 17-09-2008 को प्रोद्भूत धुआ था। वाद फाइल करने हेतु परिसीमा अवधि छछ वर्ष छै। कानूनी उपबंधों तथा निर्णय विधि की सहायता से उस तारीख का अभिनिर्धारण कीजिए जब तक रतन को वाद फाइल करना चाहिए।
 - (ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 तथा 19 के बीच भेद स्पष्ट कीजिए ।

PART - II (भाग II)

- 5. (a) Explain the essentials of a valid arbitration agreement.
 - (b) Discuss when a court shall refer the parties to a suit for arbitration? Will the court refer the parties of a suit to arbitration who are not contracting parties to the arbitration agreement?
 - (क) विधिमान्य माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए।
 - (ख) विवेचन कीजिए न्यायालय कब वाद के पक्षकारों को माध्यस्थम हेतु
 निर्दिष्ट करेगी ? क्या न्यायालय वाद के उन पक्षकारों को माध्यस्थम
 हेतु निर्दिष्ट करेगा जो माध्यस्थम करार के प्रति संविदागत पक्षकार
 नहीं है।
- Discuss the law laid by the Constitutional bench of the Supreme Court in Bharat Aluminium Company V.
 Kaiser Aluminium Technical Service SLT (2012) 71
 Vol. VII.

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी बनाम कैंसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विस एस एल टी (2012) 71 वोल्यूम VII में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अधिकथित विधि का विवेचन कीजिए। 7. Elucidate the grounds under which arbitral award may be challenged by an application of a party and by the suo-motu action of the court.

उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिनके तहत माध्यस्थम पंचाट को किसी पक्षकार की अर्जी द्वारा तथा न्यायालय की स्वप्रेरणा से हुई कारवाई द्वारा आक्षेपित किया जा सकता है।

- 8. Attempt any Two of the following:
 - (a) Whether an arbitration agreement providing for arbitration by two arbitrators is valid?
 - (b) What is the nature of power exercised by the Chief Justice of the High Court or by the Chief Justice of the Supreme Court under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996?
 - (c) The role of a conciliator in conciliation proceedings.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए:

- (क) क्या वह माध्स्थम करार विधिमान्य है जिसमें दो मध्यस्यों द्वारा मध्यस्थता की व्यवस्था हो ?
- (ख) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अधीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रयुक्त शक्ति का स्वरूप क्या होता है ?
- (ग) सुलह कार्यवाहियों में सुलहकर्ता की भूमिका